न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00321

सीमा पुत्री छोटूलाल जी पत्नी लटूर लाल आयु 36 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राम प्रकाश आत्मज छोटूलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. मंजू बाई पुत्री छोटूलाल जी पत्नी जगन्नाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम गोपाल निवासी तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तालेडा ।
4. उप पंजीयक महोदय तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।
3. श्री शिव तोषनीवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी में कुल 05 किता की रकबा 42 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 एवं 2 के पिता छोटूलाल के खाते में अंकित थी । छोटूलाल का देहावसान हो गया है । स्व0 श्री छोटूलाल के देहावसान के बाद विरासत से उक्त भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के खाते अंकित हो गयी । वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के खाते दर्ज है । मृतक छोटूलाल ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमियों में से

आराजी खसरा नम्बर 1213 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा वादिनी के विवाह के समय कन्यादान में बख्शीश की थी किन्तु उक्त भूमि का विधिवत बख्शीशनामा निष्पादित नहीं किया गया इसलिए छोटूलाल के द्वारा वादिनी के पक्ष में एक बख्शीशनामा दिनांक 12.07.2005 को निष्पादित किया गया । उक्त भूमि कन्यादान के समय से ही वादिनी के कब्जे काश्त में चली आ रही है और वादिनी ही उक्त भूमि की एकमात्र स्वामी है । वादिनी को उक्त भूमि पर तन्हा खातेदार घोषित करवाने का वैधानिक अधिकार है । शेष रही आराजी में वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 01 व 2 प्रत्येक का क्रमशः 1/3– 1/3 हिस्सा निहित है । उक्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 वादिनी को बख्शीश की गई भूमि पर अनाधिकृत रूप से अपना स्वत्व स्थापित करने एवं उक्त भूमि पर से वादिनी को बदेखल करने एवं उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1213 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा भूमि वादिनी के पृथक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें । शेष रही भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी को उनके प्राप्त हिस्से की भूमि को वादिनी के पृथक खाते में दर्ज किया जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी को उनके कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल नहीं करें और उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश कर वादिनी के वादपत्र को खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. तत्पश्चात् पक्षकारान द्वारा दिनांक 02.02.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में एक राजीनामा पेश किया और राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2018 के द्वारा राजीनामा अनुसार वाद वादिनी डिक्री कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त आराजी के एक मात्र खातेदार छोटूलाल आत्मज कान्हा जी थे जिनके अपीलान्ट पुत्री होने से छोटूलाल जी के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसपर अपीलान्ट अपने पिता की मृत्यु के बाद काबिज काश्त चली आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय में जो राजीनामा पेश किया गया है वह सभी पक्षकारान द्वारा पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.08.2019 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थिया का नाम नहीं होने के बाद हल्का पटवारी से मिल और उनके द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दी गई जिस पर दिनांक 13.08.2019 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार छोटूलाल आत्मज कान्हा थे । अपीलान्ट छोटूलाल की पुत्री है इस नाते राजस्व रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट 1/3 हिस्से के सहखातेदार हैं और काबिज काश्त हैं । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 16.11.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई । राजीनामा समस्त पक्षकारों के मध्य होता है । जवाबदावा रिकॉर्ड पर था फिर भी तनकीयात कायम नहीं की गई और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया है । राजीनामे से अपीलान्ट पाबन्द नहीं है । अपीलान्ट को राजीनामे की कोई जानकारी नहीं है । प्रतिवादी को प्रतिवादी के खिलाफ काउन्टर क्लेम पेश करने का अधिकार नहीं है । दिनांक 25.04.2018 की परीक्षण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक ने अण्डरटेकिंग पर उपस्थिति दी थी । पत्रावली जवाब एवं जवाब काउन्टर क्लेम में लम्बित थी और दिनांक 16.11.2018 को अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई इसके उपरान्त अपीलान्ट की अनुपस्थिति में वादी और प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य राजीनामा के आधर पर निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 2007 पेज 10, एआईआर 1983 बोम्बे पेज 12,, एआईआर 1998 पेज 3222, आरआरडी 2011 पवेज 11, आरआरटी 2016 (1) पेज 446, आरएलडब्ल्यू 2013 (1) पेज 268 उद्वरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिसमें पुत्र के होने की स्थिति में पुत्री को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । त्रुटिपूर्ण रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया है । रेस्पोडेन्ट मंजू बाई ने जो दावा पेश किया था उसमें उनके द्वारा उनको दान की गई आराजी अपने नाम दर्ज करने की प्रार्थना की गई थी और इस दावे में अपीलान्ट भी पक्षकार थे और जब अपीलान्ट उपस्थित नहीं आये तो न्यायालय ने उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की । इसके उपरान्त वादिनी मंजू बाई और रेस्पोडेन्ट के मध्य एक राजीनामा हुआ ।

राजीनामा के अनुसार दानपत्र जो कि पंजीकृत था उसके आधार पर वादिनी को जो आराजी दी गई थी उसको उनके खाते दर्ज करने की सहमति बने । तद्नुसार दावा डिक्री किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । काउन्टर क्लेम प्रतिवादी के खिलाफ भी मेन्टेनेबल है। अपीलान्ट को पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अपील अवधि बाधित है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अपीलान्ट को शुरू से ही वाद की जानकारी थी अपीलान्ट के द्वारा परीक्षण न्यायालय में विभाजन का दावा पेश कर रखा है और दोनों ही दावों में कई पेशी साथ–साथ आती थीं । अपीलान्ट ने अपीलाधीन प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय में वकील के माध्यम से अपनी उपस्थिति दी है । उनकी अनुपस्थिति में उनका दावा संख्या 472/14 खारिज किया गया है । धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में सही तथ्य अंकित नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में असल बख्शीशनामा और जमाबन्दी की नकल पेश हुई हैं । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2006 (12) एससीसी पेज 734, आरआरडी 2006 (2) पेज 1085, डीएनजे 2016 पेज 28, डीएनजे 2014 पेज 1050, डीएनजे 2014 (3) पेज 1052, आरआरटी 2014 (2) पेज 901, आरआरटी 2014 (2) पेज 903, आरआरटी 2012 (1) पेज 431, आरआरटी 2007 (1) पेज 379, आरआरटी 2012 (1) पेज 437 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीर एआईआर 1998 पेज 3222, आरएलडब्ल्यू 2013 (1) पेज 268, आरआरडी 2011 पेज 11 यहॉ चस्पा होती हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी मंजू बाई ने हक घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है । दावे में प्रतिवादी क्रम 01 के द्वारा जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। यह काउन्टर क्लेम वादिनी और प्रतिवादी क्रम 02 के खिलाफ है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 नया खाता संख्या 127 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 05 किता की 42 बीघा 08 बिस्वा आराजी छोटूलाल पुत्र काना के खाते में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 1941 दिनिांक 27.02.2013 का नोट अंकित है जिसके अनुसार मृतक खातेदार छोटूलाल के स्थान पर उसके वारिसान रामप्रकाश पुत्र छोटूलाल, मंजू, सीमा पुत्रियॉ छोटूलाल का नाम दर्ज किया गया है । पत्रावली पर मंजू बाई और रामप्रसाद के मध्य निष्पादित राजीनामा भी संलग्न है और असल बख्शीशनामा भी संलग्न है जो कि दिनांक 19.07.2005 को उप पंजीयक तालेडा के यहॉ पंजीबद्ध हुआ है । इस बख्शीशनामे के अनुसार छोटूलाल ने मंजूबाई को खसरा नम्बर 1213 की 05 बीघा आराजी बख्शीश में दी है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर मंजू बाई वादिनी को जो आराजी बख्शीश में दी गई उस पर वादिनी मंजू बाई का नाम दर्ज करने और शेष आराजी पर प्रतिवादी रामप्रकाश का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट

के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही गई थी । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिसमें पुरूष उत्तराधिकारी के होने की स्थिति में विवाहित पुत्रियों को को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्वरत नजीर आरआरडी 2006 (2) पेज 1085, डीएनजे 2016 पेज 28, डीएनजे 2014 पेज 1050 यहॉ चस्पा होती हैं । तद्नुसार अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं । जहॉ तक प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिवादी के द्वारा काउन्टर क्लेम का प्रश्न है इसमें प्रतिवादी के द्वारा वादी और प्रतिवादी दोनों के खिलाफ काउन्टर क्लेम पेश किया गया है । ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर 2006 (12) एससीसी पेज 734 यहॉ चस्पा होती है जिसके अनुसार यदि काउन्टर क्लेम वादी के साथ अन्य प्रतिवादी के खिलाफ हो तो वो मेन्टेनेबल है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर पक्षकार पुरानी हिन्दू विधि से शासित होते है। जिसमें विवाहित पुत्रियों को पुरूष उत्तराधिकारी के रहते हुए पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । मंजूबाई और रामप्रकाश के मध्य जो राजीनामा हुआ है उसका, आधार उनके पिता छोटूलाल के द्वारा मंजूबाई के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बख्शीशनामा है । इस बख्शीशनामे में मंजू बाई को उनके पिता के द्वारा दान की गई आराजी उनके खाते दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है व शेष आराजी रामप्रसाद के खाते दर्ज करने का आदेश पारित किया था । पुराने हिन्दू लॉ के अनुसार अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी में कोई हित–निहित नहीं है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2018 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/11/2020

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/00321

सीमा पुत्री छोटूलाल जी पत्नी लटूर लाल आयु 36 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. राम प्रकाश आत्मज छोटूलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. मंजू बाई पुत्री छोटूलाल जी पत्नी जगन्नाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम गोपाल निवासी तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तालेडा ।
4. उप पंजीयक महोदय तालेडा जिला बून्दी ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 486/दावा/2014

मंजू बाई पुत्री छोटूलाल जी पत्नी जगन्नाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम गोपाल निवासी तहसील एवं जिला बून्दी ।

---वादी

बनाम

1. राम प्रकाश आत्मज छोटूलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. सीमा पुत्री छोटूलाल जी पत्नी लटूर लाल आयु 36 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।
4. उप पंजीयक महोदय, तालेडा जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 09.11.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से अभिभाषक श्री ललित नागर एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 02 की ओर से अभिभाषक श्री शिव तोषनीवाल के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 09.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

9/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा